प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या :– 737 / 2022

अनवान : –

1. कुमार सौम्य पुत्र गोविन्द नारायण जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. भगवती माता गोविन्द नारायण जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
2. सुनीता पत्नी गोविन्द नारायण जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
3. तनिष्का पुत्री गोविन्द नारायण जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **वादी**
श्री भरतसिंह बैनीवाल अधिवक्ता **प्रतिवादीगण**

निर्णय **दिनांक: 12.06.2023**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया गया है कि रोही मौजा नगरासरी तहसील नोहर के खाता सं0 26 / 22 की कुल 5.5630 हैक्ट भूमि मृतक गोविन्दनारायण पुत्र पुरूषोतम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। विवादित भूमि वादी व प्रतिवादीगण की दादालाई खातेदारी भूमि है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गोविन्दनारायण पुत्र पुरूषोतम के नाम से दर्ज है जो वादी का पति है। गोविन्दनारायण पुत्र पुरूषोतम का देहान्त हो चुका है। गोविन्दनारायण पुत्र पुरूषोतम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 3 है जो गोविन्दनारायण पुत्र पुरूषोतम के नाम दर्ज भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने की कानूनी अधिकारी है। वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू रीति–रिवाज से शासित है। उक्त वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी तथा प्रतिवादी सं0 1 ता 3 का जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादीया स0 1 वादी की दादी एवं प्रतिवादीया स 2 वादी की माता तथा प्रतिवादीया स0 3 वादी की बहिन है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक व हिस्सा है अपने पौत्र / पुत्र / भाई के पक्ष में परित्याग कर चुकी है। इस प्रकार वादी अपने हिस्से की भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। लिहाजा यही बिनाय मुखास्मत है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:50:22 IST
Reason: SelfAttested

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 ने दावा की सभी मद संख्याओं को स्वीकार करते हुए अपना जवाब ईकबाल पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं0 4 पेरोकार राज ने अपना जवाब प्रस्तुत किया। अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य रोही मौजा नगरासरी के खाता स0 26 जमाबंदी सम्वत 2077–2080 प्रदर्श–1, मृत्यु प्रमाण पत्र बहक गोविन्द नारायण प्रदर्श–2, वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श–3 आदि प्रदर्शित करवायें।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादीगण के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में प्रतिवादीगण स0 1 ता 3 द्वारा इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही हैं। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा नगरासरी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत् 2077–2080 के खाता सं0 26/22 की कुल 5.5630 हैक्ट भूमि मृतक गोविन्दनारायण पुत्र पुरोषतम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है , उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से पैतृक कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत सरपंच ग्राम पंचायत ललानिया सदस्य प्रमाण पत्र एवं पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा मृतक गोविन्दराम के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीया सं0 1 ता 3 द्वारा वाद की सभी मदों को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश कर निवेदन किया है कि यदि वाद वादी डिक्री फरमाया जाता है तो उन्हें कोई एतराज नही है। अतः वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 3 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

क्रियात्मक आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:50:22 IST
Reason: SelfAttested

अतः वाद वादी प्रतिवादीगण की सह[illegible] एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर [illegible] की जाती है कि रोही मौजा नगरासरी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत् 2077–2080 [illegible]सील नोहर के खाता सं0 26/22 की कुल

5.5630 हैक्ट भूमि गोविन्दनारायण पुत्र पुरूषोतम के नाम दर्ज है में मृतक गोविन्दनारायण पुत्र पुरूषोतम का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12/8/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–ललानिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:30:22 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 737 / 2022
अनवान : –

1. कुमार सौम्य पुत्र गोविन्द नारायण जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. भगवती माता गोविन्द नारायण जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
2. सुनीता पत्नी गोविन्द नारायण जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
3. तनिष्का पुत्री गोविन्द नारायण जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 737 सन 2022 निर्णय दिनांक 12.06.2023

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा नगरासरी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत् 2077–2080 तहसील नोहर के खाता सं0 26 / 22 की कुल 5. 5630 हैक्ट भूमि गोविन्दनारायण पुत्र पुरूषोतम के नाम दर्ज है में मृतक गोविन्दनारायण पुत्र पुरूषोतम का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500 / – रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक ...12.6.23... को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–ललानिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:30:22 IST
Reason: SelfAttested